प्रेस नोट संख्या - 43
दिनांक 27.03.2026
सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा काला बाजारी हेतु अवैध भण्डारण किया हुआ कुल 235 लीटर पेट्रोल व 50 लीटर डीजल बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी तिलोई श्री दिनेश कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में दिनांक 27.03.2026 को श्री राकेश सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज जनपद अमेठी मय टीम द्वारा देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु व वाहन के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विराज बाजार में अकबर हुसैन द्वारा बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में पेट्रोल/डीजल ड्रमों में भरकर काला बजारी करते हुये बेंचा जा रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर चेकिंग/पूछताछ की गई तो मौके पर मौजूद व्यक्ति द्वारा अपना नाम अकबर हुसैन पुत्र स्व0 समीउल्ला निवासी विराज थाना मोहनगंज जनपद अमेठी बताया। पास में रखे ड्रमों व अन्य उपकरणों के बारे में पूछने पर बताया कि इनमें पेट्रोल व डीजल है जिसे बेचने हेतु रखा है। पुलिस टीम द्वारा भण्डारण/बिक्री किये जाने के संबन्ध में वैध प्रपत्र मांगने पर दिखा न सका। मौके पर ड्रमों में भरे कुल 235 लीटर पेट्रोल, 50 लीटर डीजल, 01 कूपी, तेल मापने वाले लीटर व 01 तेल निकालने वाली मशीन को कब्जे में लिया गया। थाना मोहनगंज पुलिस द्वारा उक्त कार्यवाही की सूचना खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग को देते हुये अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी -
1. 235 लीटर पेट्रोल।
2. 50 लीटर डीजल।
3. 01 कूपी, तेल मापने वाले लीटर व 01 तेल निकालने वाली मशीन।

पुलिस टीम-
1. श्री राकेश कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
2. का0 रोहित सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।
3. का0 अरुण यादव थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

खाद्य एवं रसद विभाग टीम-
- श्रीमती प्रतिभा सिंह आपूर्ति निरीक्षक तिलोई मय टीम।